

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है. -



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 जनवरी 2011—पौष 15, शक 1932

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. 32-18-2010-इकत्तीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 4 की उपधारा (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जल उपभोक्ता संस्थाओं की प्रबंध समिति के अध्यक्षों तथा सदस्यों की पदावधि में, उनकी पदावधि के अवसान की तारीख अर्थात् 23 मार्च 2011 से छह मास की कालावधि के लिये वृद्धि करती है.

No. 32-18-2010-M-XXXI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (5) of Section 4 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon ki Bhagidari Adhinyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, extend the term of the Presidents and the Members of the Managing Committee of the Water Users' Association for a period of six months from the date of expiry of their term, that is 23rd day of March, 2011.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, अपर सचिव.